2025: CGHC: 52762
प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
आदेश सुरक्षित करने का दिनांक: 19.09.2025
आदेश पारित करने का दिनांक: 29.10.2025
रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4258/2023

1 – आफताब अहमद मलिक, आत्मज गुलाम कादिर मलिक, आयु लगभग 34 वर्ष, निवासी– ग्राम चौकियां, पोस्ट – दरहल मल्कन, पुलिस थाना– दरहल मल्कन, तहसील– दरहल मल्कन, जिला: राजौरी, जम्मू और कश्मीर

----याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1 – भारत संघ, द्वारा सचिव, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली

2 – कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली, द्वारा अध्यक्ष

3 – महानिदेशक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, ब्लॉक नंबर–1, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली

4 – पुलिस महानिरीक्षक, देहरादून सेक्टर, सी.आर.पी.एफ., यू.सी.एफ. सदन, दीप नगर, विष्णु विहार, देहरादून (उत्तराखंड)

5 – कमांडेंट – 195 वीं बटालियन, सी.आर.पी.एफ. बारसूर, जिला: दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(वाद–शीर्षक प्रकरण सूचना प्रणाली से लिया गया है)

----उत्तरवादीगण

याचिकाकर्ता की ओर से: सुश्री शर्मिला सिंघई, वरिष्ठ अधिवक्ता, के साथ श्री शैलेश तिवारी, अधिवक्ता।

उत्तरवादी क्र.1, 3, 4 एवं 5 की ओर से: श्री भूपेंद्र पांडे, अधिवक्ता।

एकल पीठ
माननीय श्री न्यायमूर्ति अमितेन्द्र किशोर प्रसाद
सी.ए.वी. आदेश

1. याचिकाकर्ता, आफताब अहमद मलिक, सी.ए.पी.एफ. परीक्षा 2013–14 के माध्यम से चयन के उपरांत सी.आर.पी.एफ. में आरक्षक (सामान्य ड्यूटी) के रूप में नियोजित था। भर्ती के सभी चरणों को सफलतापूर्वक पूर्ण करने और वर्ष 2015 से 2022 तक निष्ठापूर्वक सेवा करने के बावजूद, याचिकाकर्ता की नियुक्ति को उसके आवेदन पत्र में दर्ज 'राज्य कोड' में एक कथित त्रुटि

के कारण चुनौती दी गई थी; उसने जम्मू–कश्मीर के स्थान पर लक्षद्वीप का राज्य कोड अंकित कर दिया था। एक अन्य अभ्यर्थी द्वारा याचिकाकर्ता के चयन को चुनौती देने वाली रिट याचिका के अनुक्रम में, कर्मचारी चयन आयोग ने वर्ष 2018 में कारण बताओ नोटिस जारी किया, और वर्ष 2022 में हुई एक जाँच में याचिकाकर्ता को गलत जानकारी देने के कारण कदाचार का दोषी पाया गया। परिणामस्वरूप, दिनांक 30.07.2022 के आदेश द्वारा उसे सेवा से हटा दिया गया। इस निष्कासन के विरुद्ध याचिकाकर्ता की अपील और उसके बाद की पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया गया, जिसका समापन दिनांक 11.04.2023 के आक्षेपित आदेश में हुआ। याचिकाकर्ता का तर्क है कि यह भूल एक अनपेक्षित त्रुटि थी, प्रासंगिक दस्तावेजों में उसका वास्तविक निवास (जम्मू और कश्मीर) स्पष्ट रूप से प्रदर्शित था, और कर्मचारी चयन आयोग भर्ती के दौरान जानकारी को उचित रूप से सत्यापित करने के अपने कर्तव्य में विफल रहा। वह अपने निष्कासन को अन्यायपूर्ण बताते हुए चुनौती देता है और सेवा में बहाली की मांग करता है तथा इस रिट याचिका के माध्यम से निम्नलिखित राहतों हेतु प्रार्थना की है:–

> "10.1 यह कि, यह माननीय न्यायालय कृपया रिट/रिटें, आदेश/आदेशों, निर्देश/निर्देशों को जारी करने की कृपा करे ताकि उत्तरवादी क्रमांक 4 द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 11/04/2023 के साथ–साथ उत्तरवादी क्रमांक 5 द्वारा पारित निष्कासन आदेश के विरुद्ध अपील में पारित आदेश दिनांक 30/7/2022 (अनुलग्नक पी/1) को निरस्त किया जा सके।
>
> 10.2 यह कि, यह माननीय न्यायालय कृपया याचिकाकर्ता को सभी पारिणामिक लाभों के साथ सेवा में बहाल करने हेतु रिट/रिटें, आदेश/आदेशों, निर्देश/निर्देश जारी करने की कृपा करे।
>
> 10.3 कोई अन्य राहत जिसे न्यायालय उचित समझे, वह भी प्रदान करने की कृपा करे।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. इस रिट याचिका में प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता, आफताब अहमद मलिक, वर्ष 2013–14 के लिए कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित सी.ए.पी.एफ. परीक्षा के माध्यम से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में आरक्षक (सामान्य ड्यूटी) के रूप में चयनित हुआ था। उसने शारीरिक दक्षता परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षण और चिकित्सा परीक्षा सहित सभी आवश्यक चरणों को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया। परिणाम 30.05.2014 को घोषित किए गए थे, और

याचिकाकर्ता को औपचारिक रूप से 01.04.2015 को सामान्य श्रेणी के तहत चुना गया था। उसने 01.04.2015 से 30.07.2022 तक ईमानदारी और समर्पण के साथ सी.आर.पी.एफ. में सेवा की। हालाँकि, शेराज अहमद नामक एक अभ्यर्थी ने, जो उसी परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहा था, अपने चयन न होने को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका (रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3230/2015) दायर की। उक्त याचिका में, शेराज अहमद ने याचिकाकर्ता के नाम और रोल नंबर का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि कम अंक प्राप्त करने के बावजूद याचिकाकर्ता का चयन किया गया था। यह दावा किया गया था कि याचिकाकर्ता ने अपने आवेदन में राज्य कोड 19 घोषित करके लक्षद्वीप राज्य कोटे के विरुद्ध गलत तरीके से चयन प्राप्त किया था, जबकि वह वास्तव में जम्मू और कश्मीर से संबंधित था, जिसका राज्य कोड 15 है। उस समय याचिकाकर्ता सी.आर.पी.एफ. की 117 वीं बटालियन में बल क्रमांक 155230522 के साथ कार्यरत था। इसके बाद, कर्मचारी चयन आयोग ने दिनांक 16.05.2018 को एक पत्र जारी कर पिंजौर, हरियाणा स्थित डी.आई.जी. सी.आर.पी.एफ. को याचिकाकर्ता को गलत राज्य कोड की जानकारी देने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने और उचित कार्रवाई पर विचार करने का निर्देश दिया। परिणामस्वरूप, दिनांक 23.06.2018 को याचिकाकर्ता को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसमें उसे कर्मचारी चयन आयोग के पुनरीक्षण के पश्चात उसकी निरर्हता के संबंध में सूचित किया गया। याचिकाकर्ता से यह स्पष्टीकरण माँगा गया कि अपने आवेदन में गलत जानकारी प्रस्तुत करने और परीक्षा के दिशा–निर्देशों का अनुपालन न करने के कारण उसकी नियुक्ति रद्द क्यों न की जाए। इसके प्रत्युत्तर में, याचिकाकर्ता ने कारण बताओ नोटिस का समुचित उत्तर प्रस्तुत किया। 117 वीं बटालियन, सी.आर.पी.एफ. के कमांडेंट के दिनांक 19.07.2018 और 17.08.2018 के पत्रों ने याचिकाकर्ता के दावे का समर्थन किया। कमांडेंट ने यह नोट किया कि याचिकाकर्ता ने अपने आवेदन और अन्य भर्ती दस्तावेजों में अपने गृह पते के रूप में राजौरी, जम्मू और कश्मीर का स्पष्ट उल्लेख किया था। यह सुझाव दिया गया कि गलत राज्य कोड '19' का अंकित होना एक अनपेक्षित चूक हो सकती है। कमांडेंट ने यह भी कहा कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान राज्य कोड की शुद्धता को सत्यापित करना कर्मचारी चयन आयोग का उत्तरदायित्व था और यह अनुशंसा की कि याचिकाकर्ता को वित्तीय कठिनाई से बचाने के लिए आवश्यक संशोधनों के साथ सी.आर.पी.एफ. में सेवा जारी रखने की अनुमति दी जाए। तत्पश्चात, दिनांक 06.01.2022 को एक जाँच आयोजित की गई, जब याचिकाकर्ता दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ में ई/195 वीं बटालियन में पदस्थ था। जाँच में याचिकाकर्ता को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 की धारा 11(1) के तहत आदेशों की अवज्ञा, कर्तव्य की उपेक्षा और कदाचार का दोषी पाया गया। यह माना गया कि याचिकाकर्ता ने अपने आवेदन पत्र में राज्य कोड

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

की गलत घोषणा करके एक गंभीर अपराध किया था, जिसके कारण आरक्षक (सामान्य ड्यूटी) के रूप में उसकी दोषपूर्ण नियुक्ति हुई। इस कदाचार को बल के अनुशासन के प्रतिकूल और सी.आर.पी.एफ. नियम, 1955 के तहत दंडनीय माना गया। परिणामस्वरूप, दिनांक 30.07.2022 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता को सेवा से पृथक कर दिया गया। जाँच के निष्कर्षों के बावजूद, जाँच अधिकारी ने रिपोर्ट में यह स्वीकार किया कि याचिकाकर्ता ने आवेदन और संबंधित दस्तावेजों में अपने सही निवास (जम्मू एंड कश्मीर) का स्पष्ट उल्लेख किया था। जाँच अधिकारी ने यह भी राय दी कि चयन के समय इस त्रुटि का पता लगाने और उस पर कार्रवाई करने में कर्मचारी चयन आयोग विफल रहा। याचिकाकर्ता ने अपनी सेवामुक्ति के विरुद्ध सी.आर.पी.एफ. नियम, 1955 के नियम 28 के तहत डी.आई.जी., रामपुर रेंज, सी.आर.पी.एफ. के कार्यालय में एक अपील दायर की। हालाँकि, अपील खारिज कर दी गई और दिनांक 21.11.2022 के आदेश द्वारा सेवामुक्ति के आदेश को यथावत रखा गया, जिसकी सूचना याचिकाकर्ता को 23.11.2022 को दी गई। इसके पश्चात याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी क्रमांक 4 के कार्यालय में सी.आर.पी.एफ. नियम, 1955 के नियम 29 के तहत एक पुनरीक्षण याचिका दायर की। इस पुनरीक्षण को भी खारिज कर दिया गया और दिनांक 11.04.2023 के आक्षेपित आदेश द्वारा सेवामुक्ति के आदेश को यथावत रखा गया। याचिकाकर्ता का तर्क है कि सेवामुक्ति का यह आदेश अत्यधिक कठोर एवं मनमाना है, विशेष रूप से देश के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हुए सी.आर.पी.एफ. में लगभग आठ वर्षों की उसकी निष्ठापूर्ण सेवा को देखते हुए। याचिकाकर्ता ने राज्य कोड को पूर्व में सत्यापित करने में विफल रहने के लिए कर्मचारी चयन आयोग की ओर से दुर्भावनापूर्ण आशय और लापरवाही का आरोप लगाया है। अत: यह याचिका प्रस्तुत है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि याचिकाकर्ता, जो वर्ष 2013–14 में कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सी.ए.पी.एफ.) परीक्षा में एक अभ्यर्थी था, ने पूर्ण ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। याचिकाकर्ता ने आवेदन और सहायक दस्तावेजों में जिला राजौरी, जम्मू और कश्मीर को अपने स्थायी गृह पते के रूप में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था। हालाँकि, अनपेक्षित रूप से और वास्तविक भूल के कारण, उसने आवेदन पत्र पर सही राज्य कोड '15' (जम्मू और कश्मीर) के बजाय भूलवश राज्य कोड '19' (लक्षद्वीप) अंकित कर दिया था। यह त्रुटि पूर्णतः लिपिकीय और अनैच्छिक थी और ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो याचिकाकर्ता की ओर से किसी भी कपटपूर्ण आशय का संकेत देता हो। यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत याचिकाकर्ता का निवास प्रमाण पत्र और अन्य सहायक दस्तावेज, याचिकाकर्ता के निवास स्थान के रूप में जम्मू और कश्मीर को सही ढंग से दर्शाते थे। इसके अतिरिक्त, बुलावा पत्र और चयन पत्र सहित

सभी आधिकारिक संसूचनाएं, कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जम्मू स्थित याचिकाकर्ता के वास्तविक पते पर भेजी गई थीं। यह इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि भर्ती एजेंसी याचिकाकर्ता के सही निवास से अवगत थी और राज्य कोड में किसी भी विसंगति को प्रत्यर्थियों द्वारा अनदेखा किया गया था। यदि याचिकाकर्ता का भर्ती प्राधिकारी के साथ धोखाधड़ी करने का कोई भी आशय होता, तो वह अपने स्थायी पते के संबंध में सभी आवश्यक और सत्य जानकारी प्रस्तुत नहीं करता, न ही वह अपने पत्राचार के विवरणों में निरंतरता बनाए रखता। अतः, यह अभिकथन कि याचिकाकर्ता ने अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए जानबूझकर अपने निवास को गलत तरीके से प्रस्तुत किया, पूर्णतः निराधार और अस्थिर है। यह कर्मचारी चयन आयोग और भर्ती बोर्ड का प्राथमिक उत्तरदायित्व था कि वे भर्ती प्रक्रिया के समय सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ मिलान करके राज्य कोड की शुद्धता सहित आवेदन पत्र की सत्यता का तत्परता से सत्यापन करते। प्रारंभिक चरण में विसंगति को पहचानने में विफलता और तत्पश्चात याचिकाकर्ता की अभ्यर्थिता को स्वीकार करना, प्रत्यर्थियों की ओर से स्पष्ट लापरवाही है। याचिकाकर्ता को बल में सम्मिलित होने की अनुमति दी गई थी, और प्रत्यर्थियों द्वारा उसकी भर्ती, पदस्थापना और सात वर्ष तीन महीने से अधिक की सेवा अवधि के दौरान कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी। बिना किसी प्रतिकूल टिप्पणी के यह लंबी और निर्बाध सेवा अवधि, अधिकारियों द्वारा याचिकाकर्ता की अभ्यर्थिता और निवास की स्वीकार्यता को रेखांकित करती है। उत्तरवादी अब अपने रुख से पलटकर याचिकाकर्ता को ऐसी त्रुटि के लिए दंडित नहीं कर सकते, जो इतने लंबे समय तक बिना किसी ध्यान या चुनौती के बनी रही।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह तर्क दिया गया है कि दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ में ई/195 वीं बटालियन, सी.आर.पी.एफ. में पदस्थापना के दौरान याचिकाकर्ता को सेवा से हटाए जाने के कारण, वाद कारण इस न्यायालय के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के भीतर आ जाता है। उच्चतम न्यायालय ने **शांति देवी उर्फ शांति मिश्रा बनाम भारत संघ**, (एआईआर ऑनलाइन 2020 एससी 819), **कुंजन नायर शिवरामन नायर बनाम नारायणन नायर**, ((2004) 3 एससीसी 277), और **कुसुम इंगोट्स एंड अलॉयज लिमिटेड बनाम भारत संघ**, ((2004) 6 एससीसी 254) सहित कई निर्णयों में इस बात पर बल दिया है कि यदि कार्यवाही के कारण का कोई भी हिस्सा किसी न्यायालय की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर उत्पन्न होता है, तो उस न्यायालय को अधिकारिता प्राप्त होगी। चूंकि याचिकाकर्ता सेवामुक्ति के समय छत्तीसगढ़ में कार्यरत था, अतः वर्तमान याचिका इस न्यायालय में स्पष्ट रूप से पोषणीय है।

5. याचिकाकर्ता, जिसकी आयु अब लगभग **34** वर्ष है, ने सी.आर.पी.एफ. में आरक्षक (सामान्य ड्यूटी) के रूप में सात वर्षों से अधिक की निष्ठापूर्ण और समर्पित सेवा प्रदान की है। उसकी आयु

और उसके नियोजन की प्रकृति को देखते हुए, यह अत्यंत असंभाव्य है कि उसे किसी अन्य सरकारी परीक्षा में सम्मिलित होने का कोई सार्थक अवसर प्राप्त होगा। इस स्तर पर सेवा से हटाया जाना उसे गंभीर वित्तीय कठिनाई और भावनात्मक कष्ट पहुँचाएगा, जिससे न केवल वह बल्कि उसके आश्रित परिवार के सदस्य भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगे, जो पूरी तरह से उसकी आय पर निर्भर हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 की धारा 11(1) और सी.आर.पी.एफ. नियम, 1955 के नियम 27 के तहत याचिकाकर्ता के विरुद्ध शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई मौलिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। ये प्रावधान केवल बल के किसी सदस्य द्वारा उसकी आधिकारिक क्षमता में किए गए कदाचार पर लागू होते हैं। राज्य कोड भरने में याचिकाकर्ता द्वारा की गई कथित त्रुटि बल में उसकी नियुक्ति से पूर्व की गई थी, और इसलिए, इन प्रावधानों के तहत कदाचार की श्रेणी में नहीं आ सकती। गौहाटी उच्च न्यायालय ने **चंदन राय बनाम भारत संघ,** (2023 एससीसी ऑनलाइन गौ. 5381) के प्रकरण में यह अवधारित किया है कि धारा 11(1) के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही केवल बल के सदस्य की क्षमता में किए गए कृत्यों पर लागू होती है, न कि भर्ती–पूर्व के कृत्यों पर। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता उस रिट याचिका (रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3230/2015) में पक्षकार नहीं था, जो भर्ती परिणामों को चुनौती देने वाले एक अन्य अभ्यर्थी द्वारा दायर की गई थी। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा परिणामों को संशोधित करने और याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिए बिना या अपना पक्ष प्रस्तुत करने का मौका दिए बिना 'अयोग्य' घोषित करने का एकपक्षीय निर्णय नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है और मनमाना है। उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना लिया गया ऐसा निर्णय कानूनी रूप से पोषणीय नहीं है। सात वर्ष से अधिक की सेवा के पश्चात सेवामुक्ति का दंड, आवेदन पत्र में हुई कथित लिपिकीय त्रुटि के लिए सर्वथा असंगत है। उच्चतम न्यायालय ने **रंजीत ठाकुर बनाम भारत संघ**, [(1987) 4 एससीसी 611] में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि शास्ति की मात्रा कदाचार की गंभीरता के अनुरूप होनी चाहिए और वह अनुचित रूप से कठोर या प्रतिशोधात्मक नहीं होनी चाहिए। याचिकाकर्ता पर अधिरोपित शास्ति अंतरात्मा को झकझोरने वाला है और आनुपातिकता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, विशेषकर जब याचिकाकर्ता के लंबे और बेदाग सेवा अभिलेख के साथ इसकी तुलना की जाती है। याचिकाकर्ता का मामला **भंवर सिंह गुर्जर बनाम भारत संघ**, [(2022) 6 एचसीसी (डेल) 378] के निर्णय से भी समर्थित है, जिसमें यह अवधारित किया गया था कि आवेदन पत्र में राज्य कोड का उल्लेख करने में हुई एक अनपेक्षित त्रुटि को किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध नहीं माना जा सकता है, विशेष रूप से वहाँ जहाँ अन्य सभी दस्तावेज स्पष्ट रूप से सही निवास दर्शाते हों और सत्यापन के समय या सेवा के दौरान कोई आपत्ति नहीं उठाई गई हो। याचिकाकर्ता को सी.आर.पी.एफ. अधिनियम और

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

नियमों के त्रुटिपूर्ण अनुप्रयोग, भर्ती एजेंसी द्वारा दस्तावेजों के सत्यापन में विफलता, और एक मनमाने तथा असंगत शास्ति के कारण **न्याय की विफलता** का सामना करना पड़ा है। उसे उसकी आजीविका से भी वंचित कर दिया गया है और वह वित्तीय संकट की स्थिति में आ गया है। उपरोक्त तर्कों के आलोक में, यह प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय कृपया एक रिट, आदेश या निर्देश जारी कर आक्षेपित आदेश दिनांक 30.07.2022, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को सेवा से हटाया गया था, और याचिकाकर्ता द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज करने वाले आदेश दिनांक 11.04.2023 को निरस्त करने की कृपा करे तथा याचिकाकर्ता को वरिष्ठता, वेतन और भत्तों सहित सभी **पारिणामिक लाभों** के साथ सेवा में बहाल करने का निर्देश प्रदान करे।

6. दूसरी ओर, उत्तरवादी क्रमांक 1, 3, 4 एवं 5 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों का पुरजोर विरोध किया और तर्क दिया कि याचिकाकर्ता वर्ष 2013 में कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में आरक्षक (सामान्य ड्यूटी) और असम राइफल्स में राइफलमैन के पद के लिए भर्ती परीक्षा में सम्मिलित हुआ था। याचिकाकर्ता ने शारीरिक दक्षता परीक्षा / शारीरिक मानक परीक्षण, लिखित परीक्षा और चिकित्सा परीक्षा को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया, जिसमें लिखित परीक्षा में उसने 37 अंक प्राप्त किए। तत्पश्चात, कर्मचारी चयन आयोग ने आरक्षक (सामान्य ड्यूटी), 2013 के चयनित अभ्यर्थियों की एक अनंतिम सूची घोषित की और याचिकाकर्ता द्वारा अपने आवेदन पत्र में दर्शाए गए राज्य कोड के अनुसार उसे लक्षद्वीप (राज्य कोड 19) के लिए आरक्षित रिक्ति के विरुद्ध सी.आर.पी.एफ. आवंटित किया। याचिकाकर्ता को 01.04.2015 को ग्रुप सेंटर, सी.आर.पी.एफ. पिंजौर में सामान्य श्रेणी के तहत आरक्षक (सामान्य ड्यूटी) के रूप में नियुक्त किया गया था। ग्रुप सेंटर में अपना बुनियादी प्रशिक्षण पूरा करने के बाद, याचिकाकर्ता ने 01.04.2017 को 117 वीं बटालियन सी.आर.पी.एफ. में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वहाँ सामान्य कार्यकाल पूरा करने के बाद, उसे 195 वीं बटालियन सी.आर.पी.एफ. में स्थानांतरित कर दिया गया, जहाँ वह 10.12.2021 से 30.07.2022 तक पदस्थ रहा। इस बीच, शेराज अहमद द्वारा जम्मू और कश्मीर के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष आरक्षक (सामान्य ड्यूटी) और असम राइफल्स परीक्षा 2013 में राइफलमैन (सामान्य ड्यूटी) की चयन प्रक्रिया को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका (रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3230/2015) दायर की गई थी। याचिका में यह तर्क दिया गया था कि शेराज अहमद द्वारा 52 अंक प्राप्त करने के बावजूद उसका चयन नहीं हुआ, जबकि याचिकाकर्ता, जिसने केवल 37 अंक प्राप्त किए थे, का चयन उसी निवास राज्य जम्मू और कश्मीर के लिए कर लिया गया। उक्त रिट याचिका के अनुक्रम में,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कर्मचारी चयन आयोग (उत्तर–पश्चिम क्षेत्र) ने दिनांक 16.05.2018 के पत्र के माध्यम से निर्देश दिया कि सी.आर.पी.एफ. को याचिकाकर्ता को यह स्पष्ट करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करना चाहिए कि गलत जानकारी (गलत राज्य कोड) देने और परीक्षा दिशा–निर्देशों के उल्लंघन के लिए उसकी नियुक्ति रद्द क्यों न की जाए। यह भी निर्देशित किया गया था कि, यदि आवश्यक हो, तो परिणामों को तदनुसार संशोधित किया जा सकता है। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में, 117 वीं बटालियन सी.आर.पी.एफ. ने 23.06.2018 को याचिकाकर्ता को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें उसके आवेदन में दिए गए राज्य कोड की विसंगति के लिए स्पष्टीकरण माँगा गया। याचिकाकर्ता ने एक प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया, जिसे सी.आर.पी.एफ. के भीतर उचित अधिकारियों के पास आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित किया गया। दिनांक 23.09.2021 को, कर्मचारी चयन आयोग ने राज्य कोड को '19' (लक्षद्वीप) से '15' (जम्मू और कश्मीर) में संशोधित करने के कारण याचिकाकर्ता के परिणाम के पुनरीक्षण का अनुरोध किया। पुनरीक्षण के उपरांत, यह निर्धारित किया गया कि याचिकाकर्ता राज्य कोड '15' (जम्मू और कश्मीर) के लिए अर्हक अंक प्राप्त नहीं कर सका, क्योंकि जम्मू और कश्मीर से अंतिम चयनित अनारक्षित अभ्यर्थी ने 52 अंक प्राप्त किए थे, जो याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्त 37 अंकों की तुलना में काफी अधिक थे। परिणामस्वरूप, कर्मचारी चयन आयोग ने आधिकारिक तौर पर याचिकाकर्ता की स्थिति को जम्मू और कश्मीर कोटे के तहत आरक्षक (सामान्य ड्यूटी) पद के लिए 'अयोग्य' के रूप में संशोधित किया, जिससे लक्षद्वीप कोटे के तहत उसका मूल चयन अमान्य हो गया। याचिकाकर्ता, जम्मू और कश्मीर का निवासी होने के नाते, आवेदन पत्र में गलत राज्य कोड भरने के कारण लक्षद्वीप के लिए आरक्षित रिक्ति के लिए गलत तरीके से चुना गया था। यह मिथ्या निरूपण कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी परीक्षा सूचना में निर्धारित भर्ती नियमों और दिशा–निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन था। संशोधित परिणाम और याचिकाकर्ता द्वारा की गई गलत घोषणा के संबंध में तथ्यों को सी.आर.पी.एफ. को सूचित किया गया, जिसने तत्कालीन नियमों और विनियमों के अनुसार उचित विभागीय कार्रवाई शुरू की। महानिदेशालय सी.आर.पी.एफ. ने अपने भर्ती निदेशालय के माध्यम से दिनांक 24.11.2021 को एक औपचारिक संसूचना जारी की, जिसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता लक्षद्वीप कोटे के तहत गलत तरीके से चुने जाने के कारण, जम्मू और कश्मीर की रिक्ति के विरुद्ध पद के लिए अपात्र था। यह निर्देश दिया गया कि उचित प्रक्रिया के उपरांत याचिकाकर्ता की सेवाएँ समाप्त कर दी जानी चाहिए। तदनुसार, याचिकाकर्ता के विरुद्ध केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 की धारा 11(1) सहपठित सी.आर.पी.एफ. नियम, 1955 के नियम 27 के तहत एक विभागीय जाँच शुरू की गई। याचिकाकर्ता के विरुद्ध यह आरोप विरचित किया गया कि उसने अपने आवेदन में

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

गलत जानकारी प्रदान कर कदाचार किया है, जिससे उसने दोषपूर्ण माध्यमों से नियुक्ति प्राप्त की। साक्ष्यों और बयानों के परीक्षण सहित विस्तृत जाँच के पश्चात, याचिकाकर्ता को सी.आर.पी.एफ. अधिनियम की धारा 11(1) के तहत आदेशों की अवज्ञा, कर्तव्य की उपेक्षा और कदाचार का दोषी पाया गया। सक्षम प्राधिकारी ने दिनांक 30.07.2022 से सेवा से हटाने की शास्ति अधिरोपित किया, जैसा कि 195 वीं बटालियन सी.आर.पी.एफ. द्वारा जारी कार्यालय आदेश दिनांक 30.07.2022 में दर्ज है। याचिकाकर्ता ने इस शास्ति को अपीलीय प्राधिकारी, डी.आई.जी. सी.आर.पी.एफ., रेंज रामपुर के समक्ष दिनांक 05.08.2022 को अपील दायर कर चुनौती दी। सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, अपील को गुणदोषहीन होने के कारण 21.11.2022 को खारिज कर दिया गया। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने दिनांक 05.12.2022 को अगले वरिष्ठ प्राधिकारी, आई.जी.,सी.आर.पी.एफ., देहरादून सेक्टर के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर की। सक्षम प्राधिकारी ने दिनांक 11.04.2023 को पुनरीक्षण याचिका को भी खारिज कर दिया और सेवामुक्ति के मूल आदेश को यथावत रखा। यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा गलत राज्य कोड प्रदान करने और उसके माध्यम से दूसरे राज्य के लिए आरक्षित रिक्ति में नियुक्ति प्राप्त करने का कृत्य भर्ती नियमों का एक गंभीर उल्लंघन है, जो निष्पक्षता और योग्यता–आअवधारित चयन के सिद्धांतों को कमजोर करता है। याचिकाकर्ता का अनपेक्षित भूल का दावा विचारणीय नहीं है क्योंकि राज्य कोड आवेदन पत्र में एक महत्वपूर्ण और अनिवार्य क्षेत्र है, और भर्ती प्रक्रिया रिक्तियों के सटीक आवंटन के लिए ऐसी सूचनाओं पर बहुत अधिक निर्भर करती है। याचिकाकर्ता से फॉर्म भरते समय अपेक्षित तत्परता बरतने की अपेक्षा की गई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. उत्तरवादी क्रमांक 1, 3, 4 एवं 5 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता की लंबी सेवा उसे उसके प्रारंभिक मिथ्या निरूपण से मुक्त नहीं करती है और न ही त्रुटि का पता चलने पर प्रत्यर्थियों को सुधारात्मक कार्रवाई करने से रोकती है। भर्ती में अनुशासन और सत्यनिष्ठा बनाए रखना बल की विश्वसनीयता के लिए सर्वोपरि है। सी.आर.पी.एफ. अधिनियम की धारा 11(1) और सी.आर.पी.एफ. नियमों के नियम 27 के तहत अनुशासनात्मक प्रावधान स्पष्ट रूप से बल के किसी सदस्य द्वारा किए गए कदाचार पर लागू होते हैं, और याचिकाकर्ता के कृत्य गंभीर कदाचार की श्रेणी में आते हैं क्योंकि वे सीधे उसकी नियुक्ति और निरंतर सेवा से संबंधित हैं। अतः आक्षेपित आदेश कानून, प्रक्रिया और न्याय के अनुरूप हैं, और इन्हें यथावत रखा जाना चाहिए। उपरोक्त तर्कों और अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों के आलोक में, यह सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि याचिका को खारिज किया जाए और सी.ए.पी.एफ. में

भर्ती प्रक्रिया की पवित्रता और निष्पक्षता बनाए रखने के हित में याचिकाकर्ता के विरुद्ध की गई कार्रवाई को यथावत रखा जाए।

8. मैंने संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और याचिका के साथ संलग्न दस्तावेजों का अत्यंत **सतर्कतापूर्वक परिशीलन** किया है।

9. याचिकाकर्ता, आफताब अहमद मलिक, को सेवा से हटाने का आदेश इस निष्कर्ष पर आअवधारित है कि उसने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में आरक्षक (सामान्य ड्यूटी) के पद के लिए आवेदन करते समय अपने आवेदन पत्र में गलत राज्य कोड अंकित कर कदाचार किया था। यह आरोप लगाया गया था कि जम्मू और कश्मीर के लिए "15" के स्थान पर केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के अनुरूप कोड "19" दर्शाकर, याचिकाकर्ता ने एक ऐसे राज्य कोटे के तहत चयन प्राप्त किया, जिसके लिए वह पात्र नहीं था। उक्त कृत्य को **केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949** की धारा 11(1) के तहत कदाचार माना गया और परिणामस्वरूप सेवामुक्ति का शास्ति अधिरोपित किया गया। अपीलीय प्राधिकारी ने दिनांक 11.04.2023 के अपने आदेश द्वारा कदाचार के निष्कर्ष की पुष्टि की और शास्ति को यथावत रखा। अतः, इस न्यायालय को यह निर्धारित करना है कि क्या याचिकाकर्ता द्वारा की गई त्रुटि, प्रकरण की परिस्थितियों में, विधिक अर्थों में "**कदाचार**" की श्रेणी में आती है, और क्या अधिरोपित शास्ति आनुपातिक एवं विधि के अनुसार पोषणीय है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. विवाद के गुण-दोष पर विचार करने से पूर्व, प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों का संदर्भ लेना आवश्यक है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 की धारा 11(1) यह प्रावधान करती है कि बल का कोई भी सदस्य जो आदेशों की अवज्ञा, कर्तव्य की उपेक्षा, या कर्तव्यों के निर्वहन में प्रमाद, या सुव्यवस्था और अनुशासन के प्रतिकूल किसी भी कृत्य का दोषी है, उसे नियमों के तहत निर्धारित शास्तियों से दंडित किया जा सकता है। सी.आर.पी.एफ. अधिनियम, 1955 की धारा 11(1) को उद्धृत करना उचित है, जो नीचे पुनरुत्पादित है:

> "11. **लघु शास्ति** – (1) कमांडेंट या ऐसा अन्य प्राधिकारी या अधिकारी जैसा निर्धारित किया जाए, इस अधिनियम के तहत बनाए गए किन्हीं भी नियमों के अधीन रहते हुए, निलंबन या बर्खास्तगी के बदले में या उसके अतिरिक्त, बल के किसी भी सदस्य को, जिसे वह आदेशों की अवज्ञा, कर्तव्य की उपेक्षा, या किसी कर्तव्य के निर्वहन में प्रमाद या बल के सदस्य के रूप में अपनी क्षमता में अन्य कदाचार का दोषी मानता है, निम्नलिखित में से एक या अधिक शास्ति दे सकता है, अर्थात: —

(क) पद में अवनति;

(ख) एक माह के वेतन और भत्तों से अनधिक किसी भी राशि का जुर्माना;

(ग) एक माह से अनधिक की अवधि के लिए क्वार्टर, लाइनों या कैंप में परिरोध;

(घ) शास्ति ड्रिल या अतिरिक्त गारद, थकान या अन्य ड्यूटी के साथ या उसके बिना, अड्ढाईस दिन से अनधिक के लिए क्वार्टर–गार्ड में परिरोध; और

(ङ) बल में विशिष्टता के किसी पद या विशेष उपलब्धियों से हटाया जाना।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. इसके अतिरिक्त, **सी.आर.पी.एफ. नियम, 1955** (1995 के प्रक्रियात्मक ढांचे के अनुरूप) का नियम 27 विभागीय जाँच आयोजित करने की रीति निर्धारित करता है और कदाचार या कर्तव्य की उपेक्षा के लिए शास्तियाँ अधिरोपित करने की प्रक्रिया निर्धारित करता है। इन प्रावधानों का उद्देश्य सेवारत कर्मियों के आंतरिक अनुशासन को विनियमित करना है और ये बल के सदस्यों द्वारा उनके सेवा दायित्वों के दौरान या उनके संबंध में किए गए कृत्यों पर लागू होते हैं।

12. वर्तमान प्रकरण के तथ्यों का परीक्षण करने पर, याचिकाकर्ता का चयन कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित सी.ए.पी.एफ. परीक्षा 2013–14 के माध्यम से हुआ था। आवेदन पत्र, साथ ही बाद के दस्तावेजों में, उसके स्थायी पते के रूप में जिला राजौरी, जम्मू और कश्मीर सुस्पष्ट रूप से दर्ज था। निवास प्रमाणपत्र, पहचान प्रमाण, चिकित्सा बुलावा पत्र और शारीरिक परीक्षण बुलावा पत्र, सभी में जम्मू और कश्मीर को उसके निवास स्थान के रूप में दर्शाया गया था। यहाँ तक कि सेवामुक्ति के आदेश सहित विभागीय पत्राचार भी इसी स्थान के पते पर प्रेषित किए गए थे। इस प्रकार, याचिकाकर्ता के निवास के संबंध में कोई विवाद नहीं है। एकमात्र विसंगति आवेदन पत्र में राज्य कोड "19" की प्रविष्टि में है, जो जम्मू और कश्मीर (राज्य कोड "15") के स्थान पर लक्षद्वीप के अनुरूप है।

13. राज्य कोड के त्रुटिपूर्ण उल्लेख के संबंध में, अभिलेख से यह प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता ने फॉर्म भरते समय अनपेक्षित रूप से गलत कोड दर्ज किया था। यह प्रविष्टि छल के किसी भी तत्व के बिना एक लिपिकीय या टंकण संबंधी त्रुटि प्रतीत होती है। याचिकाकर्ता का विस्तृत पता और दस्तावेज पूरी भर्ती प्रक्रिया के दौरान सुसंगत थे और आधिकारिक अभिलेख से सत्यापन योग्य

थे। संवीक्षा के किसी भी चरण में कर्मचारी चयन आयोग द्वारा त्रुटि का पता नहीं लगाया गया था —न तो आवेदन स्वीकार करने के समय, न ही दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान, और न ही परीक्षणों के लिए बुलावा पत्र जारी करने या अंतिम नियुक्ति के समय। यह परिस्थिति स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करती है कि अधिकारियों ने स्वयं याचिकाकर्ता को जम्मू और कश्मीर से संबंधित एक सद्भावी अभ्यर्थी माना था।

14. अतः, प्रश्न यह है कि क्या ऑनलाइन फॉर्म भरने में ऐसे **लापरवाहीपूर्ण कृत्य** को सी.आर.पी.एफ. अधिनियम की धारा 11(1) के अर्थ के अंतर्गत "कदाचार" माना जा सकता है।

15. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **पुलिस अधीक्षक एवं अन्य बनाम जोयदेव रॉय**, 1996 एससीसी ऑनलाइन कैल 443 के प्रकरण में निम्नानुसार अवधारित किया है:

> "6. अब यह सर्वविदित है कि जब सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले सेवा नियमों में 'कदाचार' को परिभाषित नहीं किया गया है, तो उसे एक सामान्य अर्थ दिया जाना चाहिए। शब्द 'कदाचार' एक वर्ग विशेष से सम्बंधित पद है। इस विषय पर हममें से एक (सत्यब्रत सिन्हा, जे.) द्वारा **प्रबोध कुमार भौमिक बनाम कलकत्ता विश्वविद्यालय**, [(1994) 2 सी.एल.जे. 456] में विचार किया गया है, जिसमें इस न्यायालय ने 'कदाचार' शब्द को परिभाषित करने वाले उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का संज्ञान लिया। उक्त निर्णय के कंडिका 14, 18, 20 और 21 में निम्नानुसार अवधारित किया गया है:—
>
> "14. कदाचार के अंतर्गत, अन्य बातों के साथ–साथ, अनुशासन भंग की परिकल्पना की गई है, हालांकि यह व्यापक रूप से निर्धारित करना संभव नहीं होगा कि क्या–क्या आचरण और अनुशासनहीनता का गठन करेगा, जो हालांकि, जानबूझकर या अनजाने में किए गए गलत **लोप** या **कार्य** को शामिल करने के लिए पर्याप्त विस्तृत है। इसका अर्थ है, "अनुचित व्यवहार, जानबूझकर किया गया गलत कार्य या किसी नियम या व्यवहार के मानक का जानबूझकर किया गया उल्लंघन।" "कदाचार कार्य के किसी स्थापित और निश्चित नियम का उल्लंघन है, जहाँ आवश्यकता की मांग के अलावा कोई

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विवेक शेष नहीं रह जाता है; यह निश्चित कानून का उल्लंघन है, एक वर्जित कृत्य है। यह **असावधानी** से भिन्न है।" कदाचार, भले ही वह भारतीय शास्ति संहिता के तहत एक अपराध हो, समान रूप से एक कदाचार है।

18. **दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम इसके कर्मकार**, [(1969) 2 एलएलजे 755 (पृष्ठ 772 पर)], शाह, जे. का कथन है कि "कदाचार औद्योगिक गतिविधि के एक विस्तृत और धुंधले स्पेक्ट्रम में फैला हुआ है; जिसमें एक कर्मचारी को नियोजन के लिए पूरी तरह से अनुपयुक्त बनाने वाले सबसे गंभीर विध्वंसक आचरण से लेकर केवल तकनीकी दोष तक शामिल हैं"।

20. उच्चतम न्यायालय ने **पंजाब राज्य बनाम राम सिंह, पूर्व आरक्षक**, [(1992) 4 एससीसी 54] में, जिस पर स्वयं श्री मुखर्जी ने भरोसा किया है, अवधारित किया:—

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"5. कदाचार को 'ब्लैक लॉ डिक्शनरी' में परिभाषित किया गया है—एक वर्जित कृत्य, कर्तव्य से विमुख होना, गैर–कानूनी व्यवहार, स्वरूप में जानबूझकर किया गया, अनुचित या गलत व्यवहार; इसके पर्यायवाची शब्द 'मिसडिमीनर', अपराध हैं, किंतु लापरवाही या असावधानी नहीं।"

7. अपराध के संदर्भ में कदाचार को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

"किसी लोक अधिकारी द्वारा उसके पद के कर्तव्यों के संबंध में कोई भी गैर–कानूनी व्यवहार, जो स्वरूप में जानबूझकर किया गया हो। इस शब्द में वे कृत्य शामिल हैं जिन्हें करने का पदधारक को कोई अधिकार नहीं था, अनुचित तरीके से किए गए कृत्य और कार्य करने के सकारात्मक कर्तव्य के बावजूद कार्य करने में विफलता।"

21. पी. रामनाथ अय्यर की 'लॉ लेक्सिकन', पुनर्मुद्रण संस्करण 1987, पृष्ठ 821 पर कदाचार को इस प्रकार

परिभाषित किया गया है:—

"कदाचार शब्द का तात्पर्य एक **दोषपूर्ण आशय** से है, न कि केवल निर्णय की त्रुटि से। कदाचार आवश्यक रूप से **नैतिक अधमता** वाले आचरण के समान नहीं है; कदाचार शब्द एक सापेक्ष शब्द है, और इसका अर्थ उस विषय–वस्तु और संदर्भ के संदर्भ में लगाया जाना चाहिए जिसमें यह शब्द आता है, उस अधिनियम या कानून के दायरे को ध्यान में रखते हुए जिसका अर्थ निकाला जा रहा है। कदाचार का शाब्दिक अर्थ है गलत आचरण या अनुचित आचरण। सामान्य बोलचाल में, कदाचार का अर्थ कार्य के किसी स्थापित और निश्चित नियम का उल्लंघन है जहाँ आवश्यकता की मांग के अलावा कोई विवेक नहीं बचा है, जबकि असावधानी, लापरवाही और अकुशलता कार्य के कुछ स्थापित, किंतु अनिश्चित नियमों का उल्लंघन है, जहाँ कुछ विवेक आवश्यक रूप से कर्ता पर छोड़ दिया जाता है। कदाचार एक निश्चित कानून का उल्लंघन है; एक अनिश्चित कानून के तहत लापरवाही या विवेक का दुरुपयोग है। कदाचार एक वर्जित कृत्य है; असावधानी, किसी कृत्य का एक वर्जित गुण है और अनिवार्य रूप से अनिश्चित है। पद पर कदाचार को एक लोक अधिकारी द्वारा गैर–कानूनी व्यवहार या उपेक्षा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिससे किसी पक्ष के अधिकार प्रभावित हुए हों।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. अतः यह देखा जा सकता है कि 'कदाचार' शब्द, यद्यपि सटीक परिभाषा के योग्य नहीं है, किंतु विचार करने पर यह अपने संदर्भ, इसके निष्पादन में हुए अपचार, और अनुशासन तथा कर्तव्य की प्रकृति पर इसके प्रभाव से अपना अर्थ ग्रहण करता है। इसमें नैतिक अधमता सम्मिलित हो सकती है, यह अनुचित या गलत व्यवहार, गैर–कानूनी आचरण, साशय स्वरूप वाला, वर्जित कृत्य, कार्य के स्थापित और निश्चित नियम या आचार संहिता का उल्लंघन होना चाहिए; न कि कर्तव्य के निष्पादन में केवल निर्णय की त्रुटि, असावधानी या लापरवाही। जिस कृत्य की शिकायत की गई है, उसमें वर्जित गुण या स्वरूप होना चाहिए। इसकी परिधि का अर्थ

उस विषय–वस्तु और संदर्भ के संबंध में लगाया जाना चाहिए जिसमें यह शब्द प्रयुक्त हुआ है, साथ ही उस कानून के दायरे और उस सार्वजनिक उद्देश्य का भी ध्यान रखा जाना चाहिए जिसे वह पूरा करना चाहता है। पुलिस सेवा एक अनुशासित सेवा है और इसमें कठोर अनुशासन बनाए रखने की आवश्यकता होती है। इस संबंध में शिथिलता सेवा में अनुशासन को क्षीण करती है, जिससे विधि और व्यवस्था बनाए रखने में गंभीर प्रभाव पड़ता है।"

16. दिनांक 06.01.2022 के आरोप–पत्र में यह आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता ने भर्ती प्रक्रिया में गलत जानकारी प्रस्तुत कर आदेशों की अवज्ञा की, कर्तव्य की उपेक्षा की और कदाचार किया। हालाँकि, जाँच रिपोर्ट और संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन पर यह स्पष्ट हो जाता है कि स्वयं जाँच अधिकारी ने यह स्वीकार किया था कि याचिकाकर्ता के निवास और पते का विवरण सभी सहायक दस्तावेजों में सही ढंग से उल्लेखित था। एकमात्र अशुद्धि संख्यात्मक कोड के एक अंक में थी। विभागीय अधिकारियों ने, हालांकि, इस अनपेक्षित त्रुटि को बिना किसी हेतु या याचिकाकर्ता को प्राप्त हुए लाभ को स्थापित किए, यांत्रिक रूप से जानबूझकर किया गया मिथ्याकरण मान लिया। अतः, दोषसिद्धि का निष्कर्ष सारवान साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है और युक्तियुक्तता की कसौटी पर विफल रहता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. भंवर सिंह गुर्जर बनाम भारत संघ, [(2022) 6 एचसीसी (डेल) 378] के प्रकरण में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अवधारित किया है:

"22. याचिकाकर्ता का यह मामला है कि उसे अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में निवास के गलत उल्लेख का ज्ञान केवल तभी प्राप्त हुआ जब उसे प्रत्यर्थियों से कारण बताओ नोटिस प्राप्त हुआ; जबकि प्रत्यर्थियों ने यह दलील दी है कि याचिकाकर्ता द्वारा निवास के गलत उल्लेख के तथ्य की शिकायत 28–3–2018 को की गई थी। वास्तव में, नियुक्ति पत्र दिनांक 21–4–2017 के निबंधनों के अनुसार, याचिकाकर्ता 25–5–2017 को प्रशिक्षण में सम्मिलित हुआ था। चूंकि नियुक्ति पत्र याचिकाकर्ता द्वारा उसकी चिकित्सा परीक्षा के समय प्रस्तुत दस्तावेजों के सत्यापन के बाद जारी किया गया था, यदि निवास के उल्लेख में कोई त्रुटि या विसंगति थी, तो उसे सूचना के खंड 2 के नोट III के अनुसार दस्तावेजों के सत्यापन के समय सुधारा जा सकता था। प्रत्यर्थियों का यह मामला नहीं है कि निर्धारित समय पर निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत

नहीं किया गया था या याचिकाकर्ता के उल्लेखित स्थायी पते से संबंधित अभिलेख निवास प्रमाण पत्र में दिए गए पते से भिन्न थे। प्रत्यर्थियों का यह मामला भी नहीं है कि याचिकाकर्ता अपना प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने में सक्षम नहीं था। बल्कि, उसके प्रशिक्षण के सफल समापन पर, याचिकाकर्ता को प्रशिक्षण बटालियन असम राइफल्स द्वारा दिनांक 9–8–2018 को सेवा प्रमाणपत्र जारी किया गया था।

xxx

27.अतः, उपरोक्त के पठन से यह ज्ञात होता है कि असम राज्य से संबंधित अभ्यर्थियों को निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि असम राज्य इसे जारी नहीं कर रहा है। भले ही याचिकाकर्ता ने ऑनलाइन आवेदन भरते समय राजस्थान राज्य के स्थान पर असम राज्य का गलत कोड (04) अंकित करने की त्रुटि की थी, यह मूल दस्तावेजों के सत्यापन के समय प्रत्यर्थियों के ध्यान में आने से रह गया था, क्योंकि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजों में उसके स्थायी पते के रूप में राजस्थान का उल्लेख था। उपरोक्त के आलोक में, हम पाते हैं कि आवेदन पत्र में 'निवास के राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के कोड को 04' के रूप में गलत अंकित करने की त्रुटि अनपेक्षित थी और याचिकाकर्ता को तकनीकी रूप से दक्ष न होने के कारण कष्ट भोगने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से तब जब प्रत्यर्थियों द्वारा उसकी सेवा में सम्मिलित होने के समय और 2 वर्ष 4 महीने और 5 दिन की ड्यूटी पूरी होने तक कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18.माननीय उच्चतम न्यायालय (गौहाटी उच्च न्यायालय द्वारा उद्धृत) ने **चंदन राय बनाम भारत संघ**, [2023 एससीसी ऑनलाइन गौ. 5381] के प्रकरण में निम्नानुसार अवधारित किया है:

"46. उपरोक्त धारा 11(1) के साधारण पठन से, बल के किसी भी ऐसे सदस्य को, जिसे प्राधिकारी आदेशों की अवज्ञा, कर्तव्य की उपेक्षा, या कर्तव्य के निर्वहन में प्रमाद या बल के सदस्य के रूप में अपनी क्षमता में अन्य कदाचार का दोषी मानता है, निलंबन या बर्खास्तगी के बदले में, या

उसके अतिरिक्त, उपरोक्त शास्तियों में से कोई भी एक या अधिक लघु शास्ति अधिरोपित या प्रदान किए जा सकते हैं। मेरी राय में, कदाचार बल के सदस्य के रूप में उसकी क्षमता में होना चाहिए जिसे आदेशों की अवज्ञा, कर्तव्य की उपेक्षा और कर्तव्य के निर्वहन में प्रमाद का दोषी माना जाता है। दूसरे शब्दों में, कदाचार उसकी ड्यूटी की अवधि के दौरान होना चाहिए।

47.**श्री थगेन दास बनाम भारत संघ** (पूर्वोक्त) के प्रकरण में, इस न्यायालय ने अवधारित किया कि सी.आर.पी.एफ. अधिनियम, 1949 की धारा 11(1) के प्रावधानों के प्रथम दृष्टया परीक्षण से यह प्रतीत होता है कि उक्त धारा का सहारा, अन्य बातों के साथ–साथ, सी.आर.पी.एफ. कर्मियों द्वारा बल के सदस्य के रूप में उनकी क्षमता में किए गए कदाचार के लिए लिया जा सकता है। वर्तमान प्रकरण में, याचिकाकर्ता के विरुद्ध आरोपित कदाचार सेवा में सम्मिलित होने के बाद के किसी कृत्य के लिए नहीं है, बल्कि सेवा में सम्मिलित होने से पूर्व के एक कृत्य के लिए है, जहाँ याचिकाकर्ता ने एक अमान्य प्रमाणपत्र के आधार पर नियुक्ति प्राप्त की थी। इसमें यह भी अवधारित किया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **राम शरण बनाम आई.जी. पुलिस** के निर्णय के अनुसार, गलत जानकारी या फर्जी प्रमाणपत्र के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने के प्रकरण में, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध उचित कार्रवाई **सी.सी.एस. (सी.सी.ए.) नियमावली, 1965** के नियम 14 के प्रावधानों के तहत शुरू की जानी चाहिए; हालाँकि, वर्तमान प्रकरण में, अधिकारियों ने सी.आर.पी.एफ. अधिनियम, 1949 की धारा 11(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का सहारा लिया है, न कि सी.सी.एस. (सी.सी.ए.) नियमावली, 1965 के नियम 14 के प्रावधानों का। तदनुसार, उत्तरवादी अधिकारियों को याचिकाकर्ता के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई करने के लिए सी.सी.एस. (सी.सी.ए.) नियमावली, 1965 के नियम 14 के प्रावधानों का सहारा लेने का निर्देश दिया गया था, क्योंकि उस पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा राम शरण बनाम आई.जी. पुलिस (पूर्वोक्त) के प्रकरण में दिए गए निर्देश के अनुसार फर्जी प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर नियुक्ति प्राप्त करने का आरोप था, क्योंकि यह अवधारित किया गया था कि उस प्रकरण के तथ्यों में

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सी.आर.पी.एफ. अधिनियम की धारा 11(1) के प्रावधान का सहारा लेना अनुचित था।

48. सी.आर.पी.एफ. अधिनियम, 1949 की धारा 11(1) के प्रावधानों के सावधानीपूर्वक परिशीलन पर, इस न्यायालय की सुविचारित राय में भी, उक्त धारा का सहारा सी.आर.पी.एफ. कर्मियों द्वारा बल के सदस्य के रूप में उनकी क्षमता में किए गए कदाचार के लिए लिया जाएगा। शास्ति निलंबन या बर्खास्तगी के बदले में या उसके अतिरिक्त अधिरोपित किया जा सकता है। वर्तमान प्रकरण में, याचिकाकर्ता के विरुद्ध आरोपित कदाचार उसकी सेवा में सम्मिलित होने के बाद के किसी कृत्य के लिए नहीं है, बल्कि सेवा में सम्मिलित होने से पूर्व के कृत्य के लिए है, जहाँ याचिकाकर्ता कथित तौर पर एक फर्जी स्कूल प्रमाणपत्र के आधार पर भर्ती हुआ था, यद्यपि वह ऐसे पद के लिए विचार किए जाने का पात्र नहीं था, यदि विभागीय कार्यवाही में यह सिद्ध हो जाता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के व्यापक परीक्षण से यह उभर कर आता है कि याचिकाकर्ता का कथित कृत्य साधारण लापरवाही या चूक का मामला था। प्रवेश पत्र, बुलावा पत्र और पत्राचार के रिकॉर्ड, सभी में जम्मू और कश्मीर में याचिकाकर्ता का सही पता अंकित है। यहाँ तक कि सेवामुक्ति का आदेश भी उसी पते पर प्रेषित किया गया था। यह स्पष्टीकरण कि याचिकाकर्ता "सीमावर्ती जिला" की अभिव्यक्ति से प्रभावित था और उसने भूलवश संबंधित कोड को "19" (जो संख्यात्मक रूप से एक अन्य क्षेत्र से मेल खाता था) मान लिया, तर्कसंगत और विश्वसनीय प्रतीत होता है। यह कृत्य किसी भी बेईमानीपूर्ण आशय, छल या हेरफेर को प्रतिबिंबित नहीं करता है। अतः, यह न्यायालय इस सुविचारित मत का है कि याचिकाकर्ता का कृत्य, यद्यपि लापरवाहीपूर्ण था, विधि में परिभाषित "कदाचार" की श्रेणी में नहीं आता है और इसके लिए बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।

20. न्यायालय को अब इस पर विचार करना चाहिए कि क्या याचिकाकर्ता पर अधिरोपित सेवामुक्ति का शास्ति कथित कदाचार के अनुपात में है। **आनुपातिकता का सिद्धांत**, जो प्रशासकीय न्यायशास्त्र में दृढ़ता से निहित है, यह अधिदेशित करता है कि शास्ति सिद्ध हुए कदाचार की गंभीरता के अनुरूप होना चाहिए।

21. **रंजीत ठाकुर बनाम भारत संघ**, [(1987) 4 एससीसी 611] के प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि शास्ति इतना असंगत नहीं होना चाहिए जो न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोर दे, और निम्नानुसार अवधारित किया है:

> "25. सामान्यतः न्यायिक पुनरावलोकन किसी निर्णय के विरुद्ध निर्देशित नहीं होता है, बल्कि वह "निर्णय लेने की प्रक्रिया" के विरुद्ध निर्देशित होता है। शास्ति के चयन और उसकी मात्रा का प्रश्न कोर्ट–मार्शल के अधिकार क्षेत्र और विवेक के भीतर है। किंतु दंड, अपराध और अपराधी के अनुकूल होना चाहिए। यह प्रतिशोधात्मक या अनुचित रूप से कठोर नहीं होना चाहिए। यह अपराध के प्रति इतना असंगत नहीं होना चाहिए कि वह अंतरात्मा को झकझोर दे और अपने आप में पक्षपात का निर्णायक साक्ष्य बन जाए। न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा के हिस्से के रूप में, आनुपातिकता का सिद्धांत यह सुनिश्चित करेगा कि भले ही कोई ऐसा पहलू जो अन्यथा कोर्ट–मार्शल के अनन्य अधिकार क्षेत्र में हो, यदि शास्ति के संबंध में न्यायालय का निर्णय तर्क की घोर अवहेलना है, तो वह शास्ति सुधार से मुक्त नहीं होगा। अतार्किकता और विकृति न्यायिक पुनरावलोकन के मान्यता प्राप्त आधार हैं। **काउंसिल ऑफ सिविल सर्विस यूनियंस बनाम मिनिस्टर फॉर द सिविल सर्विस**, [(1984) 3 डब्लूएलआर 1174 (एचएल)] में लॉर्ड डिप्लोक ने कहा था:
>
> 'मेरा विचार है कि न्यायिक पुनरावलोकन आज उस चरण तक विकसित हो गया है जहाँ उन चरणों के किसी भी विश्लेषण को दोहराए बिना, जिसके द्वारा यह विकास हुआ है, कोई भी सुविधापूर्वक उन आधारों को तीन शीर्षों के तहत वर्गीकृत कर सकता है जिन पर प्रशासनिक कार्रवाई न्यायिक पुनरावलोकन द्वारा नियंत्रण के अधीन है। पहले आधार को मैं "अवैधता" कहूँगा, दूसरे को "अतार्किकता" और तीसरे को "प्रक्रियात्मक अनौचित्य"। इसका अर्थ यह नहीं है कि मामला–दर–मामला आधार पर आगे होने वाला विकास समय के साथ और आधार नहीं जोड़ सकता। मेरे मन में विशेष रूप से भविष्य में "आनुपातिकता" के सिद्धांत को अपनाने की संभावना है जिसे यूरोपीय आर्थिक समुदाय के हमारे कई साथी सदस्यों के प्रशासनिक कानून में मान्यता प्राप्त है...।'"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. **भगत राम बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य**, [(1983) 2 एससीसी 442] के प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया है:

> "15. यह समान रूप से सत्य है कि अधिरोपित शास्ति कदाचार की गंभीरता के अनुरूप होनी चाहिए, और कदाचार की गंभीरता के असंगत कोई भी शास्ति संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगी।"

23. उपरोक्त चर्चाओं के आलोक में और वर्तमान प्रकरण पर विचार करते समय माननीय उच्चतम न्यायालय के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, यह प्रकट होता है कि याचिकाकर्ता ने सात वर्षों से अधिक समय तक बेदाग अभिलेख के साथ सेवा की है और उसे केवल सेवा में सम्मिलित होने से पूर्व गलत आवासीय कोड का उल्लेख करने के संबंध में एक अनपेक्षित लिपिकीय त्रुटि का दोषी पाया गया है; किंतु यह त्रुटि जानबूझकर नहीं की गई थी और यह भी सिद्ध नहीं हुआ कि गलत आवासीय कोड का उल्लेख करते हुए याचिकाकर्ता ने सेवा प्राप्त करने के लिए विभाग को गुमराह करने का प्रयास किया था, जैसा कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि गलत आवासीय कोड के उल्लेख के अतिरिक्त, उसने सभी दस्तावेजों में अपना सही आवासीय पता दर्ज किया था। अवज्ञा, नैतिक अधमता, या किसी धोखाधड़ी या मिथ्या निरूपण का कोई आरोप नहीं है। अतः, अधिकारियों द्वारा बताए गए कदाचार को सिद्ध नहीं माना जा सकता और सेवामुक्ति का अत्यधिक शास्ति चौंकाने वाला, असंगत और विधि में अपोषणीय है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. उपरोक्त चर्चा के दृष्टिगत, यह न्यायालय पाता है कि याचिकाकर्ता पर आरोपित कृत्य सी.आर.पी.एफ. अधिनियम, 1949 की धारा 11(1) के तहत कदाचार की श्रेणी में नहीं आता है, और न ही यह जानबूझकर या कपटपूर्ण आशय के किसी निष्कर्ष द्वारा समर्थित है। अतः, सेवामुक्ति के शास्ति को यथावत नहीं रखा जा सकता और यह निरस्त किए जाने योग्य है।

25. परिणामस्वरूप, सेवामुक्ति का आक्षेपित आदेश दिनांक 30.07.2022, अपीलीय आदेश दिनांक 21.11.2022 और पुनरीक्षण आदेश दिनांक 11.04.2023 एतद्द्वारा अपास्त किए जाते हैं। प्रत्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता को सेवा की निरंतरता और काल्पनिक वेतन निर्धारण सहित सभी पारिणामिक लाभों के साथ तत्काल सेवा में बहाल करें। हालाँकि, सेवा से बाहर रहने की अवधि के पिछले वेतन के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधि के अनुसार अलग से विचार किया जाएगा।

26. तदनुसार, यह रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

सही /–

(अमितेन्द्र किशोर प्रसाद)

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur